न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 48/2018 (अपील)

डॉ. मुकुल कोकास पुत्र श्री रमेशचंद कोकास उम्र 52 वर्ष, जाति ब्रह्मण निवासी मकान नम्बर 76, आर.के. नगर पुलिस लाईन के पास बारां रोड कोटा जिला कोटा हाल संचालक सुविधा डायग्लोस्टिक सेंटर नयापुरा कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन कोटा, समुचित प्राधिकारी पीसीपी एन डीटी एक्ट

––रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 21 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश दिनांक 6.3.2018/25.4.2018 पारित द्वारा समुचित अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन कोटा अंतर्गत धारा 20(3) आगामी आदेश तक अपीलार्थी के संस्थान का सोनोग्राफी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निलंबित किये जाने के आदेश से व्यथित होकर ।

निर्णय

दिनांकः– 26 /02/2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं परिक्षैत्र–कोटा का आदेश कमांक/पीसीपीएनडीटी/2018/16 दिनांक 6.3.2018 से आदेश दिया कि– "दिनांक 27.2.2018 को सुविधा डायग्लोस्टिक सेन्टर जी–8, विनायक कॉम्पलेक्स, नियर चमन होटल नयापुरा कोटा पर पीसीपीएनडीटी की राज्य स्तरीय टीम द्वारा छापा मारकर सेन्टर पर कार्यरत सोनोग्राफी चिकित्सक डॉ0 मुकुल कोकास को लिंग परीक्षण करते हुऐ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया जिसकी एफ आई आर नं0 11/2018 है जो कि गम्भीर किस्म के अपराध की श्रेणी में आता है । अतः गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग निर्धारण का वर्जन) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 62/2009 दिनांक 29.6.2009 को अधिनियम की धारा 20(3) के अन्तर्गत आगामी आदेश तक निलम्बित किया जाता है ।"

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 22.05.2018 को पेश कर तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी का सोनाग्राफी केन्द्र मैसर्स सुविधा डायग्लोस्टिक सेंटर नयापुरा कोटा में स्थित है जिसका संचालन डॉ0 मुकुल कोकास के द्वारा किया जाता है जिसे संचालित करने हेतु अपीलार्थी के द्वारा गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 जिसे आगे चलकर अधिनियम से

Scanned by CamScanner

सम्बोधित किया जायेगा एवं इसके तहत बनाये गये नियम 1996 के तहत विधिवत रूप से पंजीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है । जिसका प्रथम पंजीकरण प्रमाण पत्र 62/2009 है, जिसका नवीनीकरण वर्ष 2014 दिनांक 29.6.2014 को रेस्पोडेंट के द्वारा किया गया है जो दिनांक 28.6.2019 तक प्रभावी है । रेस्पोडेंट गैर अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त नवीनीकरण इसी आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रदत्त लाईसैंस की शर्तो का वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक तथा उसके पश्चात आज तक किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया है और ना ही गैर अपीलार्थी के द्वारा कोई उल्लंघन पाया गया है । अपीलार्थी के द्वारा एक आदेश दिनांक 6.3.2018 जो अपीलार्थी को दिनांक 25.4.2018 को प्राप्त हुआ है, अपीलार्थी की संस्थान को प्रदत्त इस अधिनियम के तहत जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2018 दिनांक 27.2.2018 की कथित कार्यवाही के आधार पर जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को आगामी कार्यालय आदेशों तक निलंबित करने के आदेश पारित किये है, जो पूर्णतया एक तरफा, मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत है । गैर अपीलार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.3.2018 मात्र एफ आई आर नं0 11/2018 के आधार पर जारी किया गया है जिसमें गैर अपीलार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई है, ना ही एफ आई आर की प्रति गैर अपीलार्थी को प्रेषित की गई है, उसके उपरांत भी गैर अपीलार्थी ने बिना न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये मात्र समाचार पत्र में प्रकाशित घटना के आधार पर उक्त आदेश तुरत फुरत में जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । गैर अपीलार्थी के द्वारा आदेश दिनांक 6.3.2018 / 25.4.2018 नोन स्पीकिंग ऑर्डर है, जिसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि साक्ष्य के आधार पर गेर अपीलार्थी ने यह माना है कि अपीलार्थी के संस्थान को संचालित रहने पर लोकहित विपरीत रूप से प्रभावित होता है, इसके अभाव में उक्त आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्व है । अधिनियम की धारा 20 के तहत संस्थान के पंजीयन का निरस्तीकरण या निलंबन के प्रावधान है, जिसमें स्पष्टतया यह अंकित किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी स्वविवेक से या किसी शिकायत पर संस्था को नोटिस जारी कर सकता है और स्वविवेक से यदि लोकहित में आवश्यक हो तो संस्थान का पंजीयन निलंबित कर सकता है, परन्तु गैर अपीलार्थी के समक्ष ना तो किसी प्रकार कोई शिकायत प्राप्त हुई है, ना ही ऐसा कोई कारण प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहा है जो लोकहित में संस्थान का निलंबन आवश्यक हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.2.2018 में अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है, अनुसंधान अभी शेष है, और अधिनियम के तहत प्रभारी अधिकारी पी.बी.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है । जिसमें अभी आरोप पूर्व बयान होना है अर्थात संस्था को किसी प्रकार से अभी तक आरोपित नहीं किया गया है । अपीलार्थी का आय का एक मात्र साधन उपरोक्त संस्था हे, जिसमें उसकी विशेषज्ञता का लाभ आम जन को हो रहा है, गैर अपीलार्थी के आदेश से ना केवल जनहित के कार्य प्रभावित हुये है बल्कि एक विशेषज्ञ का लाभ समाज को लेने से वंचित हुआ है । अधिनियम में दिये गये प्रावधानानुसार गैर अपीलार्थी के द्वारा निलंबन आदेश पारित

Scanned by CamScanner

करने से पूर्व अधिनियम के तहत गठित की गई सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण को पेश कर राय के पश्चात ही यह आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु पारित किये गये आदेश में किसी भी सलाहकार समिति से राय लेने का अंकन नहीं किया है और ना ही कोई राय ली गई है, ऐसी स्थिति में आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर गैर अपीलार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.3.2018 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा **कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं परिक्षैत्र--कोटा** की पत्रावली मंगवाई गई। पत्रावली प्राप्त होने पर वकील अपीलान्ट एवं *वकील* रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गैर अपीलार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.3.2018 मात्र एफ आई आर नं0 11/2018 के आधार पर जारी किया गया है जिसमें गैर अपीलार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई है, ना ही एफ आई आर की प्रति गैर अपीलार्थी को प्रेषित की गई है, उसके उपरांत भी गैर अपीलार्थी ने बिना न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये मात्र समाचार पत्र में प्रकाशित घटना के आधार पर उक्त आदेश तुरत फुरत में जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । गैर अपीलार्थी के द्वारा आदेश दिनांक 6.3.2018 / 25.4.2018 नोन स्पीकिंग ऑर्डर है, जिसमें यह नहीं दर्शया गया है कि साक्ष्य के आधार पर गेर अपीलार्थी ने यह माना है कि अपीलार्थी के संस्थान को संचालित रहने पर लोकहित विपरीत रूप से प्रभावित होता है, इसके अभाव में उक्त आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्व है । अधिनियम की धारा 20 के तहत संस्थान के पंजीयन का निरस्तीकरण या निलंबन के प्रावधान है, जिसमें स्पष्टतया यह अंकित किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी स्वविवेक से या किसी शिकायत पर संस्था को नोटिस जारी कर सकता है और स्वविवेक से यदि लोकहित में आवश्यक हो तो संस्थान का पंजीयन निलंबित कर सकता है, परन्तु गैर अपीलार्थी के समक्ष ना तो किसी प्रकार कोई शिकायत प्राप्त हुई है, ना ही ऐसा कोई कारण प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहा है जो लोकहित में संस्थान का निलंबन आवश्यक हो । प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.2.2018 में अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है, अनुसंधान अभी शेष है, और अधिनियम के तहत प्रभारी अधिकारी पी.बी.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है । जिसमें अभी आरोप पूर्व बयान होना है अर्थात संस्था को किसी प्रकार से अभी तक आरोपित नहीं किया गया है । अपीलार्थी का आय का एक मात्र साधन उपरोक्त संस्था हें, जिसमें उसकी विशेषज्ञता का लाभ आम जन को हो रहा है, गैर अपीलार्थी के आदेश से ना केवल जनहित के कार्य प्रभावित हुये है बल्कि एक विशेषज्ञ का लाभ समाज को लेने से वंचित हुआ है । अधिनियम में दिये गये प्रावधानानुसार गैर अपीलार्थी के द्वारा निलंबन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनियम के तहत गठित की गई सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण को पेश कर राय के पश्चात

Scanned by CamScanner

ही यह आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु पारित किये गये आदेश में किसी भी सलाहकार समिति से राय लेने का अंकन नहीं किया है और ना ही कोई राय ली गई है, ऐसी स्थिति में आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर गैर अपीलार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.3.2018 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. गैर अपीलार्थी चिकित्सा विभाग के वकील द्वारा बहस में कथन किया कि श्री हरि हॉस्पिटल द्वारा कथन किया कि सुविधा डायग्लोस्टिक सेन्टर जी–8, विनायक कॉम्पलेक्स, नियर चमन होटल नयापुरा कोटा पर पीसीपीएनडीटी की राज्य स्तरीय टीम द्वारा छापा मारकर सेन्टर *पर* कार्यरत सोसोग्राफी चिकित्सक डॉ0 मुकुल कोकास को लिंग परीक्षण करते हुऐ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया जिसकी एफ आई आर. नं0 11/2018 है, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी आता है । जिस कारण उक्त संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र/रजि0 नं0 *62*/2009 दिनांक *29.6.2009* अधिनियम की धारा 20 (3) के अन्तर्गत आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया है जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें । वकील अपीलार्थी के तर्को से हम सहमत नहीं है, चूंकि सोनोग्राफी सेन्टर पर राज्य स्तरीय पीसीपीएनडीटी की टीम द्वारा छापा मारकर डॉ0 मुकुल कोकोस को रंगे हाथो लिंग परीक्षण करते हुए गिरफ्तार किया गया है । *अतः अपीलां*ट का कथन एवं तर्को के आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया, सुविधा डायग्लोस्टिक सेन्टर जी–8, विनायक कॉम्पलेक्स, नियर चमन होटल नयापुरा कोटा *पर* पीसीपीएनडीटी की राज्य स्तरीय टीम द्वारा छापा मारकर *सेन्टर पर* कार्यरत सोनोग्राफी चिकित्सक डॉ0 मुकुल कोकास को लिंग परीक्षण करते हुऐ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया जिसकी एफ आई आर. नं0 11/2018 *है,* जिस कारण उक्त संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र/रजि0 नं0 *62*/2009 दिनांक *29.6.2009* अधिनियम की धारा 20 (3) के अन्तर्गत आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया है, वकील अपीलार्थी के तर्को से हम सहमत नहीं है, चूंकि सेन्टर पर राज्य स्तरीय पीसीपीएनडीटी की टीम द्वारा छापा मारकर डॉ0 मुकुल कोकास को रंगे हाथो लिंग परीक्षण करते हुए गिरफ्तार किया गया है जिससे उनका आरोप मौके पर ही प्रमाणित है । *अतः* वकील अपीलांट का कथन एवं तर्क अपील स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार करने के ठोस आधार / साक्ष्य नहीं *होने* से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner